दिशा-निर्देश

एफ नं एस.14025/34/2014-एमएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सीएस (एमए) नियम के तहत निजी दंत अस्पतालों / क्लीनिक की पैनलबद्धता के लिए दिशा-निर्देश ।

क. सामान्य आवश्यकताएँ

1. दंत चिकित्सा क्लिनिक कम से कम तीन साल पूर्व से चल रहा होना चाहिए। पिछले 3 वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि के खाते की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।
2. आवेदक के दंत चिकित्सा क्लिनिक को एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमे क्लिनिक में उपलब्ध उपचार प्रक्रियाओं / जांच / सुविधाओं की सूची और लिए जाने वाले शुल्क का विवरण शामिल होगा ।
3. राज्य पंजीकरण प्रमाण पत्र / स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण, जहाँ लागू हो, की प्रति वैधता अवधि दर्शाते हुए प्रस्तुत की जाएगी।
4. सीजीएचएस / राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यता सम्बन्धी सूचना, यदि लागू हो, प्रदान की जायेगी। मान्यता अवधि की वैधता का विवरण भी दिया जाएगा।
5. यदि यूनिट पहले से ही किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त है, क्लिनिक दस्तावेजों की छानबीन के बाद सीएस (एमए) नियमों के तहत मान्यता प्राप्त हो जाएगा, और यदि जरूरी हुआ, एक विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण करवाया जा सकता है।
6. सभी सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति जिसमें कचरा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा आदि की जानकारी उपलब्ध होगी प्रस्तुत की जाएगी।
7. एनएबीएच / अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता वैकल्पिक है ।
8. डेंटल क्लिनिक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एमएस धारा के तहत समझौता करके सीजीएचएस पैनल द्वारा अधिसूचित दरों पर सेवाएं प्रदान करनी होगी।
9. समझौता ज्ञापन [क्र.सं.1(i)] के अनुसार, दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक, समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त होगा। क्लिनिक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होने और उसका काम संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में इस अवधि को अगले 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

10. भ्रष्ट आचरण और धोखाधड़ी

    “भ्रष्ट तरीका” अपनाने से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान वस्तु का प्रस्ताव करना, देना, प्राप्त करना या ललचाना।

    यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था भ्रष्ट तथा धोखाधड़ी करने में संलिप्त रही है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को संबंधित डेंटल क्लिनिक, को अनिश्चित समय या निर्दिष्ट समय के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार होगा।

11. पैनलबद्ध नेत्र क्लिनिक अब सीएस (एमए) लाभार्थियों की शिकायतें सुनने के लिए एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित करेगा।

12. जब भी आवश्यक होगा, विशेषज्ञों के दल द्वारा क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाओं का मुआयना किया जाएगा।

13. ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से सामान्य दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए हैं। विशेष दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए अतिरिक्त तकनीकी जानकारी की भी आवश्यकता होगी। क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाएगा जो दंत चिकित्सा क्लिनिक की विशेषज्ञता के प्रकार पर निर्भर करेगा।

11. पावर / बिजली बैकअप और आग बुझाने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

क्लिनिक द्वारा उपक्रम का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा

1. यदि कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है तो दंत चिकित्सा क्लिनिक की मान्यता रद्द हो सकती है और सीएस (एमए) नियम के तहत अगले दो वर्ष तक दंत चिकित्सा क्लिनिक को पैनल में आवेदन करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा;
2. क्लिनिक किसी भी सकल चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से सीएस (एमए) लाभार्थी को शारीरिक या मानसिक चोट के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा;
3. सीजीएचएस / सीएस (एमए) नियम के तहत या किसी राज्य सरकार द्वारा दंत चिकित्सा क्लिनिक की मान्यता रद्द न की गई हो;
4. दंत चिकित्सा क्लिनिक के खिलाफ केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या किसी वैधानिक जांच एजेंसी की कोई जांच लंबित है या विचारधीन न हो;
5. क्लिनिक सीजीएचएस द्वारा निर्धारित निकटतम शहर की दरों के अनुसार वसूल कर रहा है और सीएस (एमए) रोगियों द्वारा वसूल की गई दरें अन्य रोगियों से वसूली गई दरों, जो सीएस (एमए) लाभार्थी नहीं हैं, से अधिक नहीं वसूली जा रही हैं।

ख. बुनियादी ढांचा और तकनीकी विनिर्देश / विशेष उल्लेख

1. दंत चिकित्सकीय कुर्सियों की उपलब्धता :-

- **सीएस (एमए) नियम के तहत पैनल के लिए आवेदन करने वाले सभी दंत चिकित्सा क्लीनिक के लिए लगभग 100 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए कम से कम '1' दंत चिकित्सकीय कुर्सी उपलब्ध होनी चाहिए।**

2. दन्त चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता

- रेडियो-विजिओ ग्राफ़ के साथ दंत चिकित्सा एक्स-रे मशीन (विशेषतः डीसी) सामान्य दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए आवश्यक होगी।

3. श्रमशक्ति

- सामान्य दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए, बीडीएस डिग्री धारकों, जिन्हें कम से कम 3 साल का अनुभव हो, को अनुमति दी जाएगी।

- सभी विशेषज्ञ जो विशेष क्लिनिक में नियमित आधार पर कार्यरत या दौरा आधार पर कार्यरत हैं भारत के मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता दन्त चिकित्सा परिषद अधिकारी होंगे।

एफ नं एस 14025/34/2014-एमएस

<u>सीएस (एमए) नियम के तहत विशेष दंत चिकित्सा क्लीनिक को पैनलबद्ध करने के लिए</u>

<u>प्रपत्र</u>

1. उस नगर का नाम, जहां अनन्य दंत चिकित्सा क्लिनिक मौजूद है.

2. अनन्य दंत चिकित्सा क्लिनिक का नाम

3. अनन्य दंत चिकित्सा क्लिनिक का पता

4. टेलीफोन नंबर / फैक्स नंबर / ई-मेल का पता

टेलीफोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल का पता	
प्रधान व्यक्ति का नाम और संपर्क की जानकारी	

	हां	नहीं
1. क्या एनएबीएच / क्यूसीआई से मान्यता प्राप्त है	☐	☐
2. क्या एनएबीएच से मान्यता के लिए आवेदन किया हुआ है	☐	☐
3. क्या क्यूसीआई संस्तुत है / या इसके लिए आवेदन किया हुआ है	☐	☐

4. मान्यता / संस्तुत और वैधता की अवधि का ब्यौरा : -

5. बुनियादी ढांचा और तकनीकी विनिर्देश

(क) सामान्य दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए
दंत चिकित्सकीय कुर्सियों की संख्या:
(लगभग 100 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए कम से कम '1' दंत चिकित्सकीय कुर्सी)

(ख) विशेष दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए
विशेषता के आधार पर विशेष जानकारी के लिए कहा जाएगा

(ग) नियमित सुविधाओं के लिए रेडिओ-विजिओ ग्राफ़ (आरवीजी) के साथ दंत चिकित्सा एक्स-रे मशीन (विशेषतः डीसी)

(घ) पेशेवर डिग्री की प्रति सहित विशेष जनशक्ति की विस्तृत सूची

(ड़) उपलब्ध उपकरणों की सूची

(च) वैकल्पिक पॉवर बैकअप

आवेदक या प्राधिकृत मालिक का हस्ताक्षर

<u>जांच सूची</u>

<u>एफ नं एस 14025/34/2014 - एमएस</u>

<u>सीएस (एमए), नियम 1944 के तहत दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक को पैनलबद्ध / पुनः पैनलबद्ध करने के आवेदन के संबंध में जांच सूची / टिप्पणियाँ</u>

आवेदन की तारीख:

मान्यता की वास्तविक तिथि:

क्र.सं.	**ब्यौरा**	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1.	दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक का नाम व पता		
2.	सभी विवरण सहित नोडल अधिकारी / प्रमुख व्यक्ति का नाम (टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट का नाम)		
3.	दंत चिकित्सा क्लिनिक कम से कम पिछले तीन साल से चलाया जा रहा हो का विवरण (इसके समर्थन में दस्तावेज़ की प्रति अवश्य उपलब्ध कराएँ)		
4.	दर सहित उपचार प्रक्रिया / जांच / सुविधाओं की सूची		
5.	राज्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र / स्थानीय निकायों के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि		
6.	सीजीएचएस / राज्य सरकार द्वारा वैधता दर्शाते हुए पैनलबद्धता की सूचना		
7.	सभी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित दस्तावेजों जैसे कचरा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा आदि को दर्शाने वाले दस्तावेजों की एक-एक प्रति		
8.	पावर/ बिजली बैकअप और आग बुझाने वाले उपकरणों की उपलब्धता की व्यवस्था		
9.	केन्द्र सरकार के पैनल से लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या		
10.	अस्पताल / क्लिनिक में उपलब्ध दंत चिकित्सीय कुर्सियों की संख्या		

11.	क्या अस्पताल ने दिशानिर्देशों के अनुसार वचनबद्धता दी है		
12.	क्या अस्पताल भवन व स्थान की आवश्यकता को पूरा करता है		
13.	जीवनवृत्त सहित डॉक्टरों की सूची (विशेषज्ञ और आरएमओ को अलग-अलग उल्लेख करें)		
14.	उपलब्ध नैदानिक सुविधाएं		
15.	उपलब्ध उपकरणों की सूची		
16.	पिछले वर्ष के दौरान औसतन ओपीडी / बाह्य रोगियों की उपस्थिति की संख्या		
17.	अन्य सरकारी /पैनलबद्ध अस्पतालों / सीजीएचएस/ आसपास के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों की दरों की तुलना में तुलनात्मक अनुसूचित दरें, यदि प्रस्तुत की गई हों और उनकी टिप्पणियां।		
18.	अस्पताल / क्लिनिक के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय या किसी अन्य कानूनी न्यायालय में रोगी या उसके रिश्तेदार /दोस्त द्वारा अयोग्य चिकित्सा देखभाल या गलत चिकित्सा देखभाल के कारण दर्ज मामले पर दिए गये कोई प्रतिकूल फैसला, और क्या कोई अपील किसी उच्च अदालत में लंबित है।		
19.	यह वचनबद्धता कि अस्पताल / क्लिनिक का भवन स्थानीय नगरपालिका के उप-नियमों के अनुरूप है		
20.	अन्य कोई जानकारी, जो अस्पताल / क्लिनिक प्रस्तुत करना चाहता हो		
21.	टिप्पणियाँ / सिफारशें		

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिए गए सभी विवरण / तथ्य / आंकडे मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और अस्पताल के अभिलेखों के अनुसार हैं और बिना शर्त पूर्णतया सही सत्यापित हैं। यदि बाद में किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि कुछ जानकारी छिपाई गई है या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है, तो सीएस (एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत दी गयी मान्यता कोई सूचना दिए बिना रद्द की जा सकती है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

रबर स्टांप / दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक की सील

समझौता-ज्ञापन

एफ नं एस 14025/34/2014-एमएस

केंद्र सरकार और (दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक का नाम) के बीच सीएस (एमए) नियम, 1944 के अधीन पैनलबद्धता के लिए समझौता-ज्ञापन

****

समझौता-ज्ञापन (पैनलबद्धता की तारीख) भारत के राष्ट्रपति जो पहला पक्ष होगा और (अस्पताल / क्लिनिक का नाम), जो दूसरा पक्ष होगा, के बीच किया जाता है जिसके अधीन अस्पताल / क्लिनिक केंद्र सरकारी कर्मचारियों के उपचार का दायित्व लेगा।

जबकि (अस्पताल /क्लिनिक का नाम) ने सीएस (एमए) नियम, 1944 के अधीन केंद्र सरकारी कर्मचारियों के उपचार के लिए आवेदन किया है;

जबकि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपने का.ज्ञा.सं. (फाइल सं.) तारीख (पैनलबद्धता तारीख) द्वारा (नेत्र अस्पताल /क्लिनिक का नाम) को सीएस (एमए) नियम, 1944 के अधीन केंद्र सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए पैनलबद्ध किया है बशर्ते कि सीएस (एमए) नियम, 1944 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपचार की शुल्क अनुसूची सीजीएचएस (निकटतम क्षेत्र) के अनुमोदित शुल्क की अनुसूची के अनुसार विनियमित होगी और इस शर्त पर भी कि (दंत चिकित्सा अस्पताल / क्लिनिक का नाम), भारत सरकार के साथ का.ज्ञा. जारी होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के अंदर यह करार करेगा कि अस्पताल / क्लिनिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क लगाएगा, ऐसा न करने पर अस्पताल / क्लिनिक को पैनल से निकाल दिया जाएगा। अस्पताल / क्लिनिक अपनी मान्यता समाप्त होने (मान्यता तारीख की वैधता) तक सीजीएचएस (एनएबीएच के बिना या एनएबीएच के साथ) (निकटतम क्षेत्र) दर लेगा। यदि अस्पताल की एनएबीएच मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है और इसे जारी किया जाता है तो अस्पताल (मान्यता तारीख की वैधता) के बाद एनएबीएच दरें लेगा अन्यथा इसके बाद वे एनएबीएच के बिना सीजीएचएस (निकटतम क्षेत्र) दर (मान्यता तारीख की वैधता) लेंगे।

इसलिए अब केंद्र सरकार और (अस्पताल / क्लिनिक का नाम) एतद् द्वारा करार करते हैं जिसका दोनों पक्षों द्वारा परस्पर पालन किया जाएगा जिसकी निर्धारित शर्तें और अनुप्रयोग नीचे दिए हैं -

1. (अस्पताल का नाम) सीएस (एमए) नियम, 1944 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार सदस्यों के उपचार के लिए पैनलबद्ध किया जाता है, बशर्ते कि -

    (i) अस्पताल एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यदि क्लिनिक के विरुद्ध में कोई शिकायतें नहीं हैं और काम संतोषजनक पाया जाता है तो अनुरोध किए जाने पर अवधि और 2 वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी।

    (ii) (अस्पताल / क्लिनिक का नाम) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस (निकटतम क्षेत्र) की अनुमोदित प्रभार अनुसूची के अनुसार शुल्क लेगा, जो सीजीएचएस की वेबसाइट (http:// दंत चिकित्सा msotransparent.nic.in/cghsnew/index.asp) पर उपलब्ध हो, या अस्पताल की वास्तविक दर, जो भी कम हो।

(iii) अस्पताल किसी भी स्थिति में, किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से ऊपर पैरा 1(ii) के अनुसार सहमत दर से अधिक शुल्क नहीं लेगा।

(iv) अस्पताल किसी भी तरह से किसी अन्य रोगी की तुलना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अस्पताल / क्लिनिक में उपचार प्राप्त करते समय भेदभाव नहीं करेगा।

(v) अस्पताल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतें सुनने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा, और इसकी जानकारी प्रमुख जगह पर प्रदर्शित करेगा।

(vi) अस्पताल केंद्र सरकार के चिकित्सा और वित्तीय लेखा परीक्षकों को वित्तीय और चिकित्सा अभिलेखों की समीक्षा, जब और जैसे आवश्यक होगी, के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

(vii) यदि घोर लापरवाही के कारण या गलत तरीके से जांच करने पर खून में संक्रमण मिलने के कारण कोई चोट, अंग हानि या मृत्यु होती है, और यदि ऐसी चोट अस्पताल / नैदानिक केंद्र में उपचार के परिणामस्वरूप होती है तो अस्पताल / क्लिनिक लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

(viii) ऐसी सेवाओं से उत्पन्न किसी कानूनी दायित्व का अस्पताल / नैदानिक केंद्र द्वारा निपटारा किया जाएगा और इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार होगा।

(ix) यदि अधिक शुल्क लेने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो केंद्र सरकार को उचित पूछताछ के बाद, (नेत्र अस्पताल / क्लिनिक का नाम) कोई सूचना दिए बिना, और कानून के अनुसार कोई भी अन्य कदम उठाने के पक्षपात के बिना, सूची से निकाले जाने का अधिकार होगा।

2. कोई भी पक्ष अन्य पक्ष की लिखित सहमति के बिना इस समझौता-ज्ञापन या इसके हितों का आवंटन नहीं करेगा। भारत सरकार का कानून इस एमओयू की संरचना और व्याख्या को आधिशासित करेगा।

3. यदि इस समझौता-ज्ञापन का कोई प्रावधान या किसी दस्तावेज का कोई प्रावधान जो संदर्भ द्वारा समाविष्ट किए गए हैं, अवैध हो जाता हैं, तो ऐसी अवैधता इस समझौता-ज्ञापन के अन्य प्रावधान प्रभावकारी नहीं होंगे। यह एमओयू अवैध प्रावधान के बिना अमल में लाया जा सकता है और इसके लिए इसके अन्य प्रावधान अलग से घोषित किए जाएंगे।

4. इस एमओयू में दोनों पक्षों के बीच संपूर्ण करार समाविष्ट है और किसी भी पक्ष द्वारा, उसके अधिकृत पक्ष या विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया कोई भी विधान, वादा या प्रलोभन, जो इस एमओयू में निहित नहीं है, वैध और बाध्यकारी होगा। यह एमओयू सिर्फ दोनों पक्षों द्वारा लिखित समझौते पर दस्तखत करने पर संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है।

5. इस समझौता-ज्ञापन (एमओयू) की मूल प्रति पहले पक्ष के कार्यालय में रखी जाएगी और एक सत्यापित प्रति दूसरे पक्ष के कार्यालय में रखी जाएगी।

_____________ में ----------दिन-----------वर्ष 2014 को हस्ताक्षर किए गए।

-------------पर

<u>केंद्र सरकार के लिए</u> <u>अस्पताल के लिए</u>